न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या –10/2017
रामलाल वगेराह बनाम गोपाल वगेराह

निर्णय

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं 151 सिविल प्रकिया संहिता)

दिनांक : 30/03/2021

संक्षेप में वाद पत्र का सार इस प्रकार से है कि अपीलांट ने भूमि आराजी ख.न. 746, 748, 754, 755, किता–4 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम सोनवा तहसील टोंक के संबंध में नामांतकरण 07 दिनांक 25.11.1975 ग्राम पंचायत सोनवा तहसील टोंक के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा मे पेश की। दौराने कार्यवाही प्रतिपक्षी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–11 सीपीसी पेश किया। जिसमें अंकित तथ्य इस प्रकार है कि उक्त उनवानी अपील दिनांक 12.01.1988 माननीय न्यायालय में पूर्व में पेश की गई थी, जिसका उनवानी प्रकरण पसमा बनाम मु0 धापू आदि के विरूद्ध पेश की गई थी अपील विरूद्ध नामांतकरण सं. 7 निर्णय दिनांक 25.11.1975 ग्राम पचांयत सोनवा पूर्व में पेश की गई थी, जो माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में ही उक्त अपील का निस्तारण दिनांक 15.11.1988 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खाजिर हो चुका है। अपीलांट को इसकी पूर्ण जानकारी होने के बाद भी पुनः माननीय न्यायालय में न्यायालय को अधेरे में रखते हुए पेश की गई है। प्रकरण में एक ही पक्षकार व एक ही रिलीफ चाही गई है। जिसका पूर्व में निस्तारण हो चुका है। अतः निवेदन है कि पूर्व में अपल का निस्तारण दिनांक 15.11.1988 को किये जाने से यह अपील चलने योग्य नहीं होने से निरस्त फरमाया जाये।

प्रार्थना पत्र के साथ नकल आदेशिका दिनांक 26.10.1988 से 15.11.1988, नकल दावा, शपथपत्र पसमा, जवाब दावा आदि पेश किये गये है।

जवाब में अप्रार्थी/अपीलांट ने निवेदन किया कि धारा–11 सीपीसी के प्रावधान वादों में विहित है न कि अपील में साथ ही यह भी स्पष्ट है कि उन्ही वादों मे विहित है 11 सीपीसी के प्रावधान लागू होगें जहां पर वाद का अंतिम रूप से मेरिट पर सुना जाकर विनिश्चय किया गया हो। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत में अंकित प्रकरण न तो वाद की श्रैणी में आता है ओर ना ही अपीलांट पक्षकार रहे है साथ ही उक्त अपील का विनिश्चय मेरिट पर अंतिम रूप से निर्णित हुआ था ऐसी स्थिति में किसी भी रूप से धारा–11 सीपीसी के प्रावधान उक्त अपील में लागू नहीं होते है मात्र देरी करने के आशय से एंव अपील के निस्तारण में अवरोध उत्पन्न करने के आशय से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज0)

है साथ ही यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने पूर्व में अपील में सभी रेस्पोन्डेन्ट ने नामांतकरण को अवैध माना है तथा नामांतकरण को निरस्त करने की स्वीकृति दी है एंव अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सही माना है। इसलिए भी अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है। अत निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जाना उचित एंव न्याय संगत है।

इसके पश्चात उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। उभय पक्ष ने अपने–अपने तथ्यो का दोहराते हुए बहस की।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत वाद सं0 03/1988 के निर्णय दिनांक 15.11.1988 मे अंकित विवादित नामांतकरण सं. 7 निर्णय दिनांक 25.11.1975 ग्राम पचांयत सोनवा समान ही है तथा वाद पत्र के पक्षकार भी लगभग समान ही है । इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त नामांतकरण सं. 7 निर्णय दिनांक 25.11.1975 ग्राम पचांयत सोनवा का पूर्व में निर्णय हो चुका है जिसमें अपीलांट की पैरवी एंव हाजरी में प्रकरण खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पुनः अपील पेश करने के स्थान पर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने के लिए सीपीसी के प्रावधानों के तहत आवेदन किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर, उक्त प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर ड्रॉप किये जाने योग्य है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण प्रतिवादीगण धारा 11 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, न्याय हित मे स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं अधियाचना के संबंध मे न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे निर्णय किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपील चलने योग्य नही होने के कारण अपीलांट की अपील रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त के आधार पर इसी स्तर पर ड्रॉप (खारिज) की जाती है। अपील अपीलांट निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,टोंक